भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES | दो रुपये TWO RUPEES | एक रुपया ONE RUPEE

24

श्रीमती मंजू अग्रवाल पत्नी श्री गौरीशंकर अग्रवाल निवासी बिरसिंहपुर तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 ———————— अपीलान्ट

बनाम

1. शासन म0प्र0
2. अब्दुल गनी तनय सुल्तान अहमद निवासी ग्राम बम्हनेट तह0बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0 ———————— रेस्पा0गण

A. 1566-IV/08

श्री प्रदीप श्रीवास्तव - एडवोकेट द्वारा आज दि. 28-11-08 को प्रस्तुत।

रीडर, राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर महोदय रीवा संभाग रीवाम0प्र0 प्रकरण क0–648 अपील / 2005–06 आदेश दिनांक 22.10.08

अपील अंतर्गत धारा 47 क(5) भा0स्टा0अधिनियम

प्रदीप श्रीवास्तव
28-11-08

धारा 47 क (5) भा0स्टाम्प अधिनियम के अधीन अपील का प्रारूप

1. (क) अपीलार्थी का पूरा नाम — श्रीमती मंजू अग्रवाल
   पति का नाम — श्री गौरी शंकर अग्रवाल
   व्यवसाय व पता — घरू कार्य, बिरसिंहपुर तह0बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0

   (ख) लिखत का निष्पादन करने
   –वाले व्यक्ति का पूरा नाम — अब्दुल गनी वल्द सुल्तान अहमद
   व्यवसाय, पता — कृषि, ग्राम बम्हनेट तह0बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0

   (ग) लिखत के अधीन दावा करने
   वाले हर व्यक्ति का पूरा नाम — श्रीमती मंजू अग्रवाल
   पिता / पति का नाम — श्री गौरी शंकर अग्रवाल
   व्यवसाय व पता — घरू कार्य, बिरसिंहपुर तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म0प्र0

28/11/2

.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील 1566–दो/2008 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9–16	अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 शासन की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक उपस्थित । 2/ अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो अपील मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 648/अपील/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 22.01.08 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899(आगे जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47 क(5) के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की गई है। 4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवकताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा विवादित आराजी आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की गई है न कि कृषि प्रयोजन हेतु । आवासीय उपयोग के लिये क्रय की गई आराजी का मूल्य व कृषि उपयोग हेतु क्रय की गई आराजी का मूल्य दर में अंतर होना स्वाभाविक है । वर्ष 2005 में दस्तावेज में वर्णित संपत्ति नगर पंचायत	

में सम्मिलित थी और यह आराज सेमरिया मुख्य मार्ग के किनारे स्थित है इसलिये बाजार मूल्य आवासीय दर पर निर्धारित किया जाना चाहिये था लेकिन उपपंजीयक ने कृषि भूमि मानकर दस्तावेज का पंजीयन किया है जिसे जिला पंजीयक द्वारा आवासीय मानकर विधिसम्मत निष्कर्ष निकाला गया है जिसमें हस्तचेप की आवश्यकता नहीं है । फलतः अपीलार्थी के प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकॉड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य